रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 702] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20, 1999/कार्तिक 29, 1921
No. 702] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20, 1999/KARTIKA 29, 1921

GOVT. OF INDIA

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999

का. आ. 1159(अ).—जीवजंतु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में श्री कृष्णा प्रसाद, जिन्होंने बोर्ड के सदस्य के रूप में त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर श्री केसरीचंद मेहता को नामांकित करती है और उस प्रयोजन से पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ० 495(अ), दिनांक 9 जून, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (18) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(18) श्री केसरीचन्द मेहता मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र।	धारा 5(1)(ज) के अंतर्गत नामांकित सदस्य"

[सं० 1/15/97-ए० डब्ल्यू०]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन करने संबंधी अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का०आ० 495(अ), दिनांक 9 जून, 1998 के तहत प्रकाशित की गई और उसके बाद सं० का०आ० 788(अ), दिनांक 7 सितम्बर, 1998 के तहत संशोधित की गई।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1999

S.O. 1159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby nominates Shri Kesarichand Mehta as a Member on the Animal Welfare Board of India in place of Shri Krishna Prasad, who has resigned as a Member of the Board and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests' number S.O. 495(E), dated the 09th June, 1998, namely :—

In the said notification, for serial number (18) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"(18) Shri Kesarichand Mehta Malegaon, District-Nasik, Maharashtra	Member nominated under section 5(1)(h)."

[No. 1/15/97-AW]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

Note:—The notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 495(E) dated the 09th June, 1998 and subsequently amended vide number S.O. 788(E) dated the 07th September, 1998.

3414 GI/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

IndiaCode